

7- राज्य सरकार द्वारा संशुद्ध प्रस्तावों पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे वे तथा अंगत मान्य होंगे ।

8- विद्यालय का विशाल निर्धारित प्रस्ताव/निर्देशों में रखा जायेगा ।

9- उक्त प्रस्तावों में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिस्पर्धक यह भी होगा कि वे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में ही/बाह्य/दोन्ना तीन तरह के भीतर लागू करके प्रस्ताव को अंगत कराया जायेगा । तथा जहाँ प्रधानाचार्य की निर्दिष्ट व्यवस्था भी जायेगी ।

3- उक्त प्रतिस्पर्धकों का प्रस्ताव देना देना के लिए अंगत होना और यदि किसी समय यह प्रस्ताव अंगत है कि देना द्वारा उक्त प्रतिस्पर्धकों का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है अंगत प्रस्ताव करने में किसी प्रकार की पूरक या गिनती करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अंगत प्रस्ताव पर अंगत के लिए जायेगा ।

भाषी,

(प्रमुख अधिकारी)
उक्त विभाग ।

File No 33221/15-7-19-19

प्रतिभाषा निम्नलिखित को सुचनायें एवं जायेंगे के अंगत/अंगत के लिए :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अंगत/अंगत शिक्षा विभाग, पौड़ी गढ़वाल ।
- 3- शिक्षा विभाग निर्देश, देहरादून ।
- 4- निर्देश, अंगत भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रस्ताव, अंगत प्रस्ताव अंगत प्रस्ताव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

Dr. Mrs. RAJESH ARORA
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Talab, Dehradun
Affn No 3530083, School No. 81077

Rawal
Authorized Signatory
of Manager
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN